उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-8
संख्या-1534/नौ-8-2013-4(23)आ.न.यो./10
लखनऊ : दिनांक 28 मई, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा कियान्वित 'जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन' (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) तथा 'अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स' (यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0) योजनाओं के समरूप राज्य सरकार द्वारा एक लाख से कम की आबादी वाली निकायें और जिनको यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी योजना से आच्छादित नहीं किया गया है, में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/9-5-2008-370सा/06 दिनांक 24 जनवरी,2008 एवं अनुलग्नक के रूप में आदर्श नगर योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों के कियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत आदर्श नगर योजना को सुचारू रूप से कियान्वित किये जाने हेतु प्रभावी दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार सरलीकरण/संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

पूर्व में विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
(1) <u>वित्तीय व्यवस्था</u> इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत धनराशि तथा नगरीय निकाय द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि का वहन किया जाये। जो स्थानीय निकाय उक्त 10 प्रतिशत धनराशि अपने संसाधनों से वहन करने में असमर्थ हो, उनके मामले में अधिकतम 5 प्रतिशत की सीमा का अंश सांसद/विधायक निधि से प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु ऐसी दशा में भी 05 प्रतिशत का अंश उन्हें अपने संसाधनों से वहन करना अनिवार्य होगा।	(1) <u>वित्तीय व्यवस्था</u> आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत निकायों से 10 प्रतिशत निकाय अंश जमा कराये जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए राज्य सरकार के स्तर से ही निकायो को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि का आवंटन किया जायेगा।
<u>(2)योजना तथा नगरीय निकायों का चयन।</u> (1) नगरीय निकाय तथा योजना का चयन मा0 नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित	<u>(2) योजना तथा नगरीय निकायों का चयन।</u> (1) आदर्श नगर योजना के कियान्वयन हेतु समय-समय पर आवश्यक नीति निर्धारित

u o-g

एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसका प्रारूप निम्नवत होगा :-

1. मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग-अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग-सदस्य
3. सचिव, नगर विकास विभाग-सदस्य
4. सचिव शहरी समग्र विकास विभाग-सदस्य
5. नियोजन विभाग का प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से निम्न न हो-सदस्य
6. वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो विशेष सचिव से कम न हो-सदस्य
7. निदेशक-सूडा लखनऊ-सदस्य
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक-सदस्य
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम-सदस्य
10. निदेशक, स्थानीय निकाय सदस्य सचिव।

(2) यह समिति निकायों के चयन की प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगी।

(3) समिति योजना की स्वीकृति पर विचार करते समय, सम्बन्धित निकाय के प्रतिनिधि द्वारा योजना का प्रस्तुतिकरण किया जायेगा।

(4) योजना का डी0पी0आर0 बनाने एवं कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था का चयन समिति द्वारा किया जायेगा तथा डीपीआर हेतु योजना के 15 प्रतिशत तक की धनराशि अनुमन्य होगा।

किये जाने एवं इस योजना के अन्तर्गत निकायों का चयन कर उन्हें अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने के लिए प्रस्तुत की गयी कार्ययोजना के आधार पर धनराशि का आवंटन किये जाने हेतु मा0 नगर विकास मंत्री जी को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(2) स्थानीय नागर निकायों द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की जायेगी, जिसके आधार पर निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु मा0 मंत्री जी द्वारा बजट का आवंटन किया जायेगा।

(3) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(4) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से 03 वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तो में किया जायेगा।

(5) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त, उसकी गुणवत्ता की

u o-g

		चेकिंग कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(3)योजना के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने की प्रकिया। 1. योजना का मूल्यांकन प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय-वित्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त राज्य सरकार अपने अंश का 50 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी को अवमुक्त करेगी। 2. योजना की मूल्यांकित लागत की 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जायेगी तथा प्रथम किश्त की धनराशि का 70 प्रतिशत (राज्य एवं निकाय के अंश मिलाकर) उपभोग हो जाने के पश्चात द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। 3. राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी निकायों को धनराशि का आवंटन तभी करेगी जब निकायों द्वारा परियोजना लागत के सापेक्ष अपने अंश की 10 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तरीय एजेन्सी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।		**(3)योजना के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने की प्रकिया।** निकायों द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्ययोजना के आधार पर मा0 मंत्री जी द्वारा निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु बजट का आवंटन किया जायेगा। निकायों को एक वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु पृथक-पृथक आवंटित किये गये बजट को एक किश्त के रूप में माना जायेगा। इस प्रकार एक वित्तीय वर्ष में निकाय को आवंटित की गयी कुल धनराशि का 70 प्रतिशत उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में सम्बन्धित निकाय, आगामी किश्त की स्वीकृति हेतु पात्रता की श्रेणी में आ जायेंगी।

2. आदर्श नगर योजना के कियान्वयन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/9-5-2008- 370सा/06 दिनांक 24.1.2008 एवं उसके अनुलग्नक में जारी वर्णित मार्गदर्शी दिशा-निर्देश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

सी. बी. पालीवाल
प्रमुख सचिव

u o-g

संख्या 1534/नौ-8-2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास/नियोजन/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय)
7. निदेशक, सूडा, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
9. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. संबंधित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
11. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

u o- g